

मध्यप्रदेश राज्य संतुलन विभाग

यन विभाग

घल्जग भवन, भोपाल

//राज्य//

No. 5 RSP

भोपाल, दिनांक 12/12/2008

183

फ्रमांक/एक 15-36/2007/10-2 : प्रदेश में याघ एवं अन्य वन्यप्राणियों की सुरक्षा व्यवरथा और रुकूम करने वाली गृहिणी रो राज्य शासन एवं द्वारा यन विभाग में मुख्य वन्यप्राणी आंनरक्षक ये अधीन एक राज्य रत्तरीय 'टाईगर स्ट्राईक फोर्स' का गठन करता है। उसके फोर्स की संरक्षना निम्नानुसार होगी:-

1. राज्य रत्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स का प्रभारी अधिकारी मुख्य यन संरक्षक रत्तर का होगा।
2. भोपाल रिंग एन्टी पोचिंग रखवाड़ को अप राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स का छा जायेगा एवं इसका कांक्षेन सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
3. रिंगनी रिथत एन्टी पोचिंग रखवाड़ का मुख्यालय परियर्तित कर हन्दौर किया जाये।
4. यन विभाग में कार्यरत अन्य 5 एन्टी पोचिंग रखवाड़ और वर्तमान में जबलपुर, इटारसी, सतना, सागर एवं रिंगनी में रिथत हैं, इस राज्य रत्तरीय 'टाईगर स्ट्राईक फोर्स' के अधीन होंगे एवं इन्हें बोर्डीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स का जायेगा। इन ईकाइयों के कार्य क्षेत्र निम्नानुसार होंगे:-

क्र.	मुख्यालय	कार्य क्षेत्र(यन भूमि)
	हन्दौर	हन्दौर, उज्जौन एवं छण्डा
	जबलपुर	जबलपुर, रिंगनी, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा
	इटारसी	भोपाल, लोरागायाद एवं बैतूल
	सागर	सागर, शियपुरी एवं ग्वालियर
	सतना	सतना, शहडोल एवं छतरपुर

5. राज्य रत्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, भोपाल में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मधारी होंगे:-

मुख्य यन संरक्षक अधिकारी यन संरक्षक रत्तर के अधिकारी होंगे।	-	1
1- दल प्रमुख -	-	2
2- उप यन संरक्षक/ग्राहायक यन संरक्षक	-	2
3- यन क्षेत्रपाल	-	1
4- फारेस्टर/यनरक्षक	-	4
5- रेटेन्नों	-	2
6- असिस्टेन्ट कंप्यूटर ऑपरेटर	-	1
7- अर्दली	-	3
8- डाक रनर	-	2
9- याहन धालक	-	3
6. टाईगर स्ट्राईक फोर्स की स्थापना हेतु नये पदों का सूजन नहीं किया जावेगा।

7. रेटनो, सहायक फ़ास्थूटर ऑपरेटर, अर्दली, लाक रनर एवं घाहन घालक आदि विभाग में उपलब्ध दैनिक येतन भोगी कर्मचारियों में से उपलब्ध याराये पायेंग राष्ट्र योग द्वारा उपलब्ध न होने वाले रिप्टिं में (रेटनो, सहायक फ़ास्थूटर ऑपरेटर, घाहन घालक, लाक रनर, अर्दली आदि) संशिद नियुक्त एवं जॉब दर पर व्यवरथा की जायेगी।
8. राज्य स्तरीय फोर्स एवं 5 क्षेत्रीय ईकाइयों में पदरथ अधिकारियों / कर्मचारियों को गूल येतन वा 15 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय दिया जावेगा एवं ईकाई प्रभारियों को आहरण एवं संवितरण वा अधिकार भी होगा।
- II. इस फोर्स के गठन/संचालन के फलरक्षण राज्य शासन पर फोर्ड वित्तीय भार नहीं आयेगा। फोर्स के अनार्थी व्यय की पूर्ति फैस्पा निधि (CAMPFA) से की जायेगी। आर्थी व्यय की पूर्ति राष्ट्रीय याच संरक्षण प्राधिकरण से अनुदान प्राप्त कर की जायेगी।
- III. यह फोर्स भूर्यातः वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, यथा संशोधित वा अन्तर्गत अधिनियमों द्वारा नियंत्रित करने वो लिये प्रदेश में रूचना तंत्र (Intelligence Network) का विकास एवं संचालन करेगा तथा पुलिस, केन्द्रीय वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण व्यूरो एवं अन्य संघर्षित संरक्षणों से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये समर्पय करेगा।
- IV. इस टाइगर स्ट्राइक फोर्स की रक्षापाना हेतु राज्य वित्त विभाग के ग्रु. ओ. क्रमांक 260/382/धार/व-5/08, दिनांक 16.05.2008 द्वारा दी गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल नाम से

तथा आदेशानुसार
११/१०६
(सत्यानन्द)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
गोपाल, दिनांक १२/१२/२००८

प. क्रमांक/एफ-15-36/2007/10-2

प्रतिलिपि:-

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल,
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल,
- समरत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश एवं
- समरत क्षेत्र संगालक, राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग